न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 107/2025

मनीष खैरवा पुत्र श्री दया राम जाति जाट निवासी 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर ।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: उपस्थित अभिभाषक :: –

अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा — प्रार्थी
पैरोकार राज — अप्रार्थी

– :: आदेश ::–

दिनांक :–15.12.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का स्थाई निवासी है, प्रार्थी व उसके परिवार का जीवन निर्वाह केवल खेती पर निर्भर है। प्रार्थी का रजिस्टर्ड पता वही है, जो कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है तथा प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2072–2075 वाके चक 18 जी जी के खाता संख्या 52/46 के मुरब्बा नम्बर 2 व 59 में 1.967 है0 कृषि भूमि तथा मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2073–2076 वाके चक 13 एच एच के खाता संख्या 56/27 के मुरब्बा नम्बर 14 में 2.530 है० कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से कागजात माल है। जिसका प्रार्थी मालिक, काबिज व खातेदार है तथा उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त होकर प्रार्थी की फसले खड़ी हैं । चक 18 जी जी की भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मनीष कुमार पुत्र श्री दया राम हिस्सा–पूर्ण जाति जाट सा० देह खातेदार अंकित है तथा चक 13 एच एच की भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मनीष कुमार पुत्र श्री दया राम हिस्सा – पूर्ण जाति जाट सा० देह खातेदार अंकित है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी का सही व पूरा नाम मनीष खैरवा पुत्र श्री दया राम है तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

खाता, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी का नाम मनीष खैरवा अंकित है। प्रार्थी मनीष खैरवा को उक्त संजय कुमार व संजय कुमार खैरवा नाम से भी जाना पहचाना व पुकारा जाता है। मगर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम मनीष खैरवा है। भूमि के राजस्व रिकार्ड भिन्न भिन्न नाम के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवा कर सही नाम मनीष खैरवा अंकित करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को कई बार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम दर्ज करने के लिए आवेदन/निवेदन किए हैं, मगर उन्होने सक्षम न्यायालय से बिना आदेश करवाए, प्रार्थी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने से इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि चक 18 जी जी के खाता संख्या 52/46 के मुरब्बा नम्बर 2 व 59 में 1.967 है0 कृषि भूमि तथा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 वाके चक 13 एच एच के खाता संख्या 56/27 के मुरब्बा नम्बर 14 में 2.530 है0 कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम की शुद्धि की जाकर प्रार्थी का नाम मनीष खैरवा पुत्र श्री दया राम अंकित किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट उक्त विषयक के सम्बन्ध में पटवारी हलका से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हलका अनुसार जमाबन्दी संवत 2072–75 चक 18 जीजी के खाता संख्या 52/46 मु.नं. 2, 59=1.967 हैक्. रकबा मनीषकुमार पुत्र दयाराम जाति जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2073–76 चक 13 एचएच खाता संख्या 56/27 में मु.नं. 14 में 2.530 हैक्. रकबा मनीषकुमार खैरवा पुत्र दयाराम जाति जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड उक्त खाता पर स्थगन/विवाद नहीं है। प्रस्तुत दस्तावेजो पेन कार्ड आधार कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम मनीषकुमार खेरवा पुत्र दयाराम अंकित है। प्रार्थी उक्त दस्तावेजो के आधार पर जमाबन्दी में नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। पटवारी द्वारा मौके पर पूछताछ करने पर दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

वकील प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 18 जी जी, पटवार हल्का 18 जी जी खाता संख्या 52/46, जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 चक 13 एच एच, पटवार हल्का 18 जी जी खाता संख्या 56/27 एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 18 जी जी,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

पटवार हल्का 18 जी जी खाता संख्या 52/46, जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 चक 13 एच एच, पटवार हल्का 18 जी जी खाता संख्या 56/27 में अंकित नाम मनीषकुमार पुत्र दयाराम, मनीषकुमार खैरवा पुत्र दयाराम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर मनीष खैरवा पुत्र श्री दया राम अंकित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner